उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादूनः: दिनांकः: नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है की लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 के उपनियम (2) के खंड (छ) सपठित उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 914/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 10 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को निम्न दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाउल्लिखित ऐसे साक्ष्य के रुप में, जिसे प्रतिदाय का दावा करने के लिए समझी गई निर्यात पूर्तियों के पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात् :-

सारणी

क्र.सं.	साक्ष्य
(1)	(2)
1	यथास्थिति, अग्रिम प्राधिकार धारक या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक का अधिकारिता वाला कर अधिकारी द्वारा अभिस्वीकृति, कि उक्त समझी गई निर्यात पूर्तियां उक्त अग्रिम प्राधिकार या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक द्वारा प्राप्त हो गई हैं या प्राप्तिकर्ता निर्यातोन्मुख यूनिट द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित ऐसा कर बीजक जिसके अधीन ऐसी पूर्तियां पूर्तिकर्ता द्वारा की गई हैं, कि उक्त समझी गई निर्यात पूर्तियां उसके द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं, की एक प्रति ।
2	समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता द्वारा वचनबंध कि ऐसी पूर्तियों पर कोई इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उसके द्वारा नहीं लिया गया है ।
3	समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता द्वारा वचनबंध कि वह ऐसी पूर्तियों की बाबत प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा ।

यह अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 915/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

..........अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

7417
13/11/2017

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 915 / 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 10 November, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 915 /2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 10 November, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-rule (2) of rule 89 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 read with Notification No. 914/2017/ 9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 10 November, 2017 of Government of Uttarakhand, Finance Section-8, the Governor, is pleased to notify the following, as detailed in column (2) of the Table below, as evidences which are required to be produced by the supplier of deemed export supplies for claiming refund, namely:-

Table

S.No.	Evidence
(1)	(2)
1.	Acknowledgment by the jurisdictional Tax officer of the Advance Authorisation holder or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, as the case may be, that the said deemed export supplies have been received by the said Advance Authorisation or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, or a copy of the tax invoice under which such supplies have been made by the supplier, duly signed by the recipient Export Oriented Unit that said deemed export supplies have been received by it.
2.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that no input tax credit on such supplies has been availed of by him.
3.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that he shall not claim the refund in respect of such supplies and the supplier may claim the refund.

This Notification shall deemed to come into force from the 18th day of October, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary

DT:/GST Notification/ Evidences(27-10-2017)